-1-

(133)

समक्ष श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर [सर्किल जबलपुर संभाग, जबलपु

अपील प्रकरण क्रमांक:— A 766-PBM/07

श्री डी. कुरी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
22 FEB 2006
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1580
22/2/06

(3)

अपीलार्थी :- [1] श्री चेतनदास वल्द श्री कुन्दन दास सिंधी साकिन- माधवनगर ,कटनी, तह० व जिला-कटनी [म०प्र०] ---------क्रेता

[2] चेलाराम गिदवानी वल्द श्री जेठानंद गिदवानी

[3] श्री राजकुमार गिदवानी वल्द श्री जेठानंद गिदवान निवासी- शांतिनगर ,कटनी तह० व जिला-कटनी [म०प्र०] -------विक्रेता

बनाम

प्रत्यर्थीगण [1] मध्य प्रदेश शासन, द्वारा उप पंजीयक, कटनी

[2] माननीय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जबलपुर/कटनी

अपील अंतर्गत धारा 147 [क] [5] उपधारा-[8] भारतीय स्टाम्प अधिनियम- 1899.

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अधिकारी महोदय, न्यायालय अति० कलेक्टर महोदय, संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक- 218-बी/105/03-04 श्री चेतनदास विरूद्ध म०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक- 24/9/05 से दुखी एवं क्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्याया० निर्णयार्थ प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य

[अ] यह कि अपीलार्थी ने विक्रेता से उप पंजीयक कार्यालय,कटनी में दिनां 24/5/05 को मूल्य 4,73000/- आये पंजीबद्ध करवाया था।

[ब] यह कि अपीलार्थी ने उक्त दस्तावेज पंजीयन जब करवाया था तब उस पर बाजार मूल्य अनुसार स्टाम्प लगाये थे।

क्रमशः::2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 766–एक/07 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–4–16	उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 28–2–08 को उपस्थित थे इसके उपरांत लगातार अनुपस्थित हैं, उन्हें आगामी पेशियों की सूचना भी दी गई है किंतु आवेदक या उनके अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण को आवेदक द्वारा रूचि न लेने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	